

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल,  
गवालियर कैम्प इन्डौर

निगरानी प्र.क्र.

/ 2017

जी.एच.व्ही. कंपनी प्रा.लि.

P.1216-PB2-17

पता – 1, 8 महल इण्डस्ट्रीयल स्टेट,

ऑफिस महाकाली कवस रोड, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई

तर्फ अधिकृत प्रोजेक्ट मैनेजर

नियाज मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद

आयु – 45 वर्ष,

निवासी – सी-27, कुम्बा नगर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

हालमुकाम – पलसूद

... निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फ

राजस्व निरीक्षक

पटवारी हल्का नंबर 8,

ग्राम बारोली, वृत्त राजपुर जिला बड़वानी

2. म.प्र. शासन तर्फ

तहसीलदार महोदय,

तहसील कार्यालय राजपुर जिला बड़वानी

3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

कार्यालय राजपुर जिला बड़वानी

... रेस्पोडेण्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता तर्फ निवेदन है कि :-

यह कि, सदर निगरानी श्रीमान कलेक्टर महोदय, बड़वानी के अपील प्रकरण क्रमांक ०४ |अपील|अ-८/ 2016-17 (जी.एच.वी. कंपनी प्रा.लि. विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित अंतरित स्थगन आवेदनपत्र पर पारित आदेश दिनांक ०६/०४/२०१७ से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा प्रार्थी का अंतरिम स्थगन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।



2017

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक निगरानी 12/16 -पीबीआर/2017

जिला बड़वानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
२१/५/१८	<p>आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों को विचार किया गया। कलेक्टर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक ६-४-२०१७ की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। कलेक्टर जिला बड़वानी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदकगण की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि यदि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित नहीं किया गया तो उसे अपरिमित क्षति उठानी पड़ेगी। आवेदक का स्थगन आवेदक पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्ट्या कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	